न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 40 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 166

ओमप्रकाश पुत्र कालूराम निवासी गांव खाटसजवार(10 एसडीएस) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 21.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने अपने पत्रांक पीए / 2024 / 1768 दिनांक 10.10.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी ओमप्रकाश के द्वारा जरिये डाक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर उसके दादा जसराम पुत्र पूर्णराम निवासी 10 एसडीएस खाटसजवार को भूमि आवंटन वर्ष 1976 से 1980 आदि की सूचनाएं चाही गई थी। आवेदक के द्वारा पूर्ण विवरण नहीं भिजवाया गया कि उसके दादा जसराम को किस वर्ष में किस तहसील में भूमि आवंटन हुई आदि पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया ताकि तदनुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन हैं कि प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उन्हें वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है इसके विपरीत प्रत्यर्थी का कथन है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 07.06.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना संबंधित विवरण प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक से वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टियां अंकित किया जाना अपेक्षित हैं। लोक सूचना अधिकारी से सूचना जिस स्वरूप में उपलब्ध हो उसी स्वरूप में प्रदान किया जाना अपेक्षित है तथा कार्यालय संसाधनों को प्रभावित करते हुए सूचना की तालाश कर अथवा तथ्यों में से सूचना को खोजकर आवेदक को उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं हैं। प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र में वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियों का अंकन नहीं किया गया है जिस हेतु प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को प्रतिउत्तर प्रेषित किया जा चुका है। अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)